Topic - External Law as the Standard of Morality.

Dr. Sachidanand Prasad.
R.R.S. College, Mokama.

नीतिशास्त्र का सम्बन्ध मानव के कर्मों का मूल्यांकन करना है। मानव कर्म के बिना नहीं रह सकता है। हमलोग यह देखते हैं कि साधारणतः मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुःख से निवृत्ति के लिए कर्म करता है अतः मनुष्य को अपने कर्मों पर नियंत्रण करना पड़ता है। इसी दृष्टिकोण से प्राचीन काल में यूनानियों ने बाह्य नियमों को अच्छे आचरण अर्थात् नैतिकता का मापदण्ड बतलाया था। इसके बाद अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस विचार का समर्थन किया। उनके द्वारा कहा गया कि बहिर्गत नियम या किसी बाह्य सत्ता द्वारा निर्धारित नियम ही नैतिकता का चरम मापदण्ड है। बहिर्गत नियम की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि- वैसे आदेश या आदेशों की व्यवस्था जो हमपर किसी बाह्य सत्ता (ईश्वर, समाज, राज्य) की इच्छा या आज्ञाओं द्वारा बाहर से आरोपित किया जाता है। उदाहरण के लिए बचपन में हमें माता-पिता से अनेकों प्रकार के आदेश मिलते हैं। फिर मानव समुदाय के लिए किसी बाह्य सत्ता की इच्छा या आज्ञा से जिन नियमों

को उनपर बाहर से आरोपित किया जाता है वही उनके आचरण के मापदण्ड हैं। इसप्रकार हमलोग कह सकते हैं कि बाह्य नियम की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। यह बाह्य सत्ता की इच्छा या आज्ञा किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं है क्योंकि यदि इनकी इच्छा को किसी अन्य सत्ता पर निर्भर मान लिया जाये तो फिर इनके आदेश का पालन आवश्यक नहीं माना जा सकता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इनके आदेश हमें लिखित रूप में, भाषणों द्वारा या प्रचलित व्यवहारों के रूप में ज्ञात होते हैं। उदाहरण के लिए समाज के नियम लिखे नहीं रहते बल्कि प्रचलित व्यवहार के रूप में व्यक्त रहते हैं। फिर राज्य के नियम अधिकांशत: लिखित रूप में रहते हैं। बाह्य नियम की विशेषता यह है कि बाह्य नियम के अनुसार बाह्य नियम ही मानव आचरण के मापदण्ड हैं इसलिए यदि इन नियमों के अनुसार कार्य किया जाये तो उसे नैतिक दृष्टि से उचित कहा जायेगा। ~~अन्यथा~~ अगर इन नियमों के अनुसार कार्य नहीं किया जाये तो उसे अनुचित कहा जायेगा। बाह्य नियम का पालन करने के लिए हमें पुरस्कार और दण्ड के द्वारा बाध्य किया जाता है। यदि हमलोग इस नियम का पालन करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है और नहीं पालन करते हैं तो

दण्ड मिलता है। वाह्य नियम के समर्थकों का कहना है कि कोई भी कर्म स्वतः उचित या अनुचित नही होता है बल्कि कोई भी कर्म इसलिए उचित है क्योंकि किसी उच्चतर शक्ति ने उसको पालन करने का आदेश दिया है। यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि कौन सी वाह्य शक्ति के आदेश नैतिक मापदण्ड है? इस संबंध मे कुछ विचारकों ने समाज को, कुछ विद्वानों ने राज्य को और कुछ विद्वानों ने ईश्वर को वह वाह्य शक्ति माना है जिनके आदेश नैतिक मापदण्ड है।

आलोचना:- ① वहिर्गत नियम की आलोचना करते हुए आलोचकों का कहना है कि चूँकि वहिर्गत नियम किसी वाह्य सत्ता द्वारा निर्मित नियम है जो मनुष्य पर उपर से लादे जाते है इसलिए इसमें नैतिकता का अभाव रहता है क्योंकि वैसे कर्म ही नैतिक होते है जिसको हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से करते हैं।

② वहिर्गत नियम की आलोचना करते हुए आलोचकों का कहना है कि वहिर्गत नियम हमेशा पुरस्कार के प्रलोभन और दण्ड

के भय से पालन किया जाता है इसलिए उसमें हमारा अभिप्राय व्यक्त नहीं हो पाता है और हमारा चरित्र भी प्रकाशित नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए यदि हमारा अभिप्राय खराब हो लेकिन दण्ड के भय से हमारा कर्म उसके विपरीत हुआ हो तो उसमें हमारा चरित्र व्यक्त नहीं हो पाता है। अतः इस प्रकार के किये गये कर्मों की नैतिक महत्ता नहीं रह जाती है।

(3) आलोचकों का कहना है कि चूँकि वर्हिगत नियम बाह्य सत्ता की इच्छा या संकल्प पर निर्भर है इसलिए यह विवेकपूर्ण नहीं है क्योंकि बाह्य नियम के अनुसार कोई भी कर्म इसलिए उचित या अनुचित है क्योंकि वैसी ही बाह्य सत्ता की इच्छा है। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक नैतिक मापदण्ड विवेक युक्त होना चाहिए।

(4) आलोचकों ने बाह्य नियम की आलोचना करते हुए कहा है कि वर्हिगत नियम नैतिकता का चरम मापदण्ड नहीं है। आलोचकों का कहना है कि प्रत्येक नियम किसी लक्ष्य की पूर्ति का साधन होता है, इसलिए नियमों से उच्चतर वह लक्ष्य या साध्य है, जिसके लिए नियम बना है इसीलिए वर्हिगत नियमों को भी नैतिकता की कसौटी पर कसा जाता है।